:: डा0 अवध नरेश शर्मा ::
शिक्षा निदेशक(मा0)

अ0शा0प0 : मा0शि0प0/सिस्टम सेल/डी0ई0/770
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश।
इलाहाबाद : दिनांक: 15 जनवरी,2015

प्रिय महोदय,

वर्ष 2015 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय, सवित्त एवं वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का पहचान पत्र (I-Card) तैयार कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

शैक्षिक सत्र 2014–15 में परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान सभी विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों का शैक्षिक विवरण, अर्हता एवं उनकी फोटो आदि को ऑनलाइन अपलोड किया गया था। इस ऑनलाइन अपलोड हुये डाटा के आधार पर ही समस्त अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का एक स्थायी पहचान पत्र (Identity-Card) तैयार कराया जायेगा है। अध्यापकों के (I-Card) बिल्कुल परिशुद्ध रूप में तैयार कराये जा सकें इस हेतु यह आवश्यक है कि इस वेबसाइट पर अध्यापकों के अपलोड हुये विवरण पूर्णतया शुद्ध हों तथा उनकी फोटो भी बिल्कुल अच्छी स्थिति में हों।

अतः अपने जनपद के समस्त प्रधानाचार्यों को अविलम्ब निर्देशित कर दें कि वे परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर परिषद द्वारा विद्यालय की दी गई यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अपने विद्यालय के अध्यापकों के अपलोडेड डाटा एवं उनकी फोटो आदि की गम्भीरता एवं सतर्कता से सम्यक जाँच कर लें, और किसी भी प्रकार की त्रुटि/अशुद्धि को तुरन्त सुधार दें। वेबसाइट पर प्रधानाचार्यों द्वारा अध्यापकों के अपलोड किये गये डाटा में निम्नांकित प्रकार की त्रुटियाँ प्रकाश में आई है :–

1– विद्यालय के कतिपय कार्यरत अध्यापकों एवं व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षकों के विवरण अपलोड होने से छूट गये हैं।
2– अध्यापकों की नियुक्ति यदि इण्टरमीडिएट की कक्षाओं में अध्यापन के लिये की गई है तो उनके अध्यापक के विषय कोड हाईस्कूल के अंकित हैं।
3– अध्यापन विषय एवं अन्य जिस विषय के लिये अध्यापक क्वालीफाइड हैं उसमें विषय कोड के स्थान पर विषय का नाम अंकित कर दिया गया है।
4– विषयों के कोड अशुद्ध अंकित हैं अथवा अंकित ही नहीं हैं।

5– अध्यापकों की जन्मतिथि तथा नियुक्ति की तिथि त्रुटिपूर्ण अंकित है अथवा अंकित ही नही हैं।

6– वर्तमान पद पर अध्यापन करने की अवधि तथा सम्पूर्ण अध्यापन की अवधि शून्य अंकित है अथवा गलत अंकित है।

7– कतिपय अध्यापकों के मोबाइल नं0 एवं उनके बैंक के विवरण अंकित नही हैं अथवा गलत अंकित हैं।

8– कतिपय अध्यापकों के विवरण डुप्लिकेट अंकित हैं जो गलत है। एक अध्यापक का विवरण केवल एक बार ही अंकित करना है चाहे वह जितने भी विषयों का अध्यापन करता हो।

9– अध्यापकों के पदनाम अशुद्ध अंकित हैं।

प्रधानाचार्यों को उक्त विवरणों को सुधारने एवं विवरण अंकित न होने की स्थिति में शुद्ध विवरण अंकित करने के साथ–साथ वेबसाइट पर अध्यापकों की दो अतिरिक्त सूचनायें यथा–उनके स्नातक एवं परास्नातक के विषयों की सूचनायें भी उपलब्ध कराई जानी है।

प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वे उक्त समस्त वांछित सूचनाओं को परिशुद्ध रूप में दिनांक: 25–01–2015 तक अनिवार्यतः परिषद की वेबसाइट **upmsp.edu.in** पर ऑनलाइन अपलोड/अपडेट कर दें। परिषद की वेबसाइट केवल इस कार्य हेतु दिनांक 16–01–2015 से क्रियाशील कर दी जायेगी।

परिषद की वेबसाइट पर वांछित सूचनायें अपलोड/अपडेट न करने की स्थिति में यदि अध्यापकों के आई–कार्ड अशुद्ध बन जायेंगें इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रधानाचार्य का ही होगा एवं अशुद्ध आई–कार्ड को दुबारा शुद्ध कराकर बनवाने में जो भी व्ययभार आयेगा वह सम्बन्धित प्रधानाचार्य को ही वहन करना होगा।

अतः प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार शासन के निर्णयों का अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(डा0 अवध नरेश शर्मा)

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक
उत्तर प्रदेश।